

कार्यालय उपनिदेशक (वि०/याँ०) फोन न० 0120-2897629
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद ,उ०प्र०

नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल साहिबाबाद, गाजियाबाद।

पत्रांक:- वि०/याँ०/गा०/2011 - 2337

दिनांक 01/11/11

अल्पकालीन निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु निविदा वित्तीय रूप से सुदृढ मण्डी परिषद मे विद्युत / यात्रिक कार्य मे पंजीकृत ठेकेदारो से दिनांक 19.7.11 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय मे आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित निविदादाताओ अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियो के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निविदा आमंत्रण तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय से कार्य दिवस मे अथवा भारतीय स्टेट बैंक सी- 17-18 सेक्टर 15 वसुन्धरा गाजियाबाद के शाखा से निर्धारित मूल्य जमानत धनराशि आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र जमा करके प्राप्त किये जा सकते है।

क्र० स०	कार्य का नाम	निविदा का मूल्य	बयाने की धनराशि	कार्य पूर्ण करने का समय	श्रेणी
1	नवीन मण्डी स्थल फिरोजाबाद '8' साइज के नलकूप निर्माण तथा 7.5 एच.पी सबमर्सिबल पम्प की आपूर्ति/स्थापना एवं तत्सम्बंधी अन्य कार्य।	500.00	85000.00	चार माह	-
2	नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर बैंक भवन मे आन्तरिक विधुतीकरण, 2नग हाई मास्ट लाइट की मरम्मत एवं तत्सम्बंधी अन्य कार्य , 10 नग टूटे हुए पोल के स्थान पर नये पोल लगाने का कार्य।	500.00	58000.00	चार माह	ब

- नोट:- (1) क्रमांक 01 अंकित निविदाए सम्भागीय उप निदेशक (प्र०/विप०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद एन०एच०-2 सिकन्द्रा आगरा से क्रमांक 02 पर अंकित निविदाए सम्भागीय उप निदेशक (प्र०/विप०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद सहारनपुर के कार्यालय से निर्धारित मूल्य जमानत धनराशि आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र जमा करके प्राप्त किये जा सकते है।
- (2) बयाने की धनराशि का एफ० डी० आर० / सी० डी० आर०/ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप मे जो उप निदेशक (वि०/याँ०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद गाजियाबाद के नाम बंधक होनी चाहिये निविदा क्रय करते समय जमा करना अनिवार्य होगा इसके अभाव मे निविदा निर्गत किया जाना सम्भव नही होगा।
- (3) निविदा आमंत्रण तिथि 19.7.11 को यदि कोई अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस मे प्राप्त एवं खोली जायेगी। शेष नियम एवं शर्तें कार्यालय कार्य अवधि मे किसी भी समय देखी जा सकती है।
- (4) निविदा मे किसी भी प्रकार का निगोशियेशन नही किया जायेगा और निविदा खुलने के पश्चात प्राप्त दरे ही अन्तिम दरे होगी और उसी के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
- (5) निविदा के दरे मे दशमलव के पूर्व शून्य अंकित न होने (0 से 1 प्रतिशत के मध्य दरे होने पर) एवं दरे शब्दो मे न भरे होने पर निविदा को अवैध मानते हुए उस पर विचार नही किया जायेगा।
- (6) निविदा के साथ रु० 100.00 का स्टाम्प पेपर जो ट्रेजरी कार्यालय से जारी हुआ हो के साथ रु० 1.00 का रेवेन्यू टिकट लगाना अनिवार्य है इसके अभाव मे निविदा पर विचार नही किया जायेगा एवं निविदा को अवैध मान लिया जायेगा।
- (7) क्रमांक 01 पर अंकित निविदा उन्हीं फर्मो को निर्गत की जाएगी जिनके पास उपरोक्त कार्य कराने का अनुभव होगा, तथा निविदा क्रय करते समय अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निर्गत नहीं की जाएगी।
- (8) निविदा मूल्य का 13.50 प्रतिशत वैट अलग से देय होगा।
- (9) निविदा मण्डी परिषद के विभागीय वेबसाईट [www. Upmandiparishad.in](http://www.Upmandiparishad.in) पर भी उपलब्ध है।

(अवधेश सिंह)
उपनिदेशक (वि०/याँ०)